ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Media Bite **20 Sep, 2020**

Shri Ahmed Patel, Shri Pratap Singh Bajwa, Dr. Abhishek M Singhvi Shri Shaktisinh Gohil, Shri Akhilesh Prasad Singh and Dr Naseer Hussain addressed Media at Vijay Chowk, outside Parliament., today

श्री अहमद पटेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो बिल पास किया गया है और जो कानून लाने जा रहे हैं, वो ना सिर्फ किसान के विरोध में है बल्कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो राज्य हैं, कृषि राज्यों का विषय है और trading within the state also, एक कंकरंट (Concurrent) लिस्ट में है, जो राज्य़ का विषय है। तो ये राज्य के खिलाफ है और राज्यों के खिलाफ भी है। ऐसे ही जीएसटी की वजह से राज्य परेशान हैं और उनके जो रेवेन्यू हैं, वो कम करने की कोशिश की गई है। कॉस्टिट्यूशन का, संविधान का जो स्पिरिट है, उस पर इन्होंने प्रहार किया है, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट था ट्रेडिंग के नाम पर, सेंट्रल गवर्मेंट ने एक कानून पास करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि एक तरह से पहले ये एक्वीजिशन एक्ट (Acquisition Act) लाए थे, काफी हंगामा हुआ, किसान भी काफी नाराज थे, वो वापस लेना पड़ा और जो कॉर्पोरेट सेक्टर को जमीन देना चाहते थे, वो जब नहीं कर पाए, तो कई स्टेट में फिर से कानून ले आए और अभी जो किसान की कृषि है, जो खेती है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को देना चाहते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर का रोल इतना रहेगा, इनकी मोनोपॉली इतनी होगी, क्योंकि आखिर तो एपीएमसी जो है, उसको जब खत्म करने की कोशिश हो रही है, एमएसपी को भी धक्का पहुंचेगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राईस की जगह प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैक्सिमम सेलिंग प्राईस देंगे, जो बिल्कुल गलत है, तथ्य विहीन है।

तो एक तो मुद्दा था, बाकी जो हमारे साथी चर्चा करेंगे, लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं कि इनके मैनिफेस्टो में भी एपीएमसी को खत्म करने की बात की गई है, वो बिल्कुल डिस्टोर्ट करने की कोशिश की है, काफी मेहनत करके हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ने की ज़रुरत है, लेकिन आधा अधूरा उन्होंने पढ़ा हुआ है और जो मैनिफेस्टो में हमने बात की है, एपीएमसी की बात की है, तो उसके साथ-साथ हमने किसानों के लिए सेफ गार्ड भी रखे हुए हैं, कम से कम 22 प्वाइंट है। 20 मुद्दों की बात नहीं करते हैं, सिर्फ दो मुद्दों की बात करते हैं। तो मैंने आज उसी पर संसद में कहा कि हमने जो सेफ गार्ड रखे हैं, क्या आप वो सेफ गार्ड किसानों को देने के लिए तैयार हैं, कोई जवाब नहीं आया और चाहे कुछ भी कह दे ये सरकार, प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी प्रचार कर ले, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, आज का दिन काली स्याही से लिखा जाएगा और ये जो भी बिल पास हुआ है और जो कानून आएगा, वो किसानों के हित के विरोध में है। इसी बहाने ये जो खेती है, कृषि है, कॉर्पोरेट सेक्टर को सौंपना चाहते हैं, एमएसपी नहीं मिलेगा, लोग परेशान होंगे, किसान परेशान होंगे, एसडीएम को जो अधिकार दिए हैं, पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा किसानों को, तो किसानों की जो भी तकलीफ हैं, मुश्किलात हैं, वो बढ़ेंगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरा साथी बाकी मुद्दों पर बात करेंगे।

मैं इतना ही कहूंगा कि आज का दिन काली स्याही से लिखा जाएगा, ये किसान विरोधी दिन है, किसानों के खिलाफ है और राज्यों के खिलाफ भी ये कानून है।

जिस तरह 12 पार्टियों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के नोटिस आज दी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिल को पास किया गया, मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई हैं और लोकतंत्र की हत्या की गई है। हमने कहा था कि आज हाउस एडजर्न करिए, कल बाकी मिनिस्टर रिप्लाई करेंगे और उस पर डिवीजन भी होगा, वो बात तो नहीं मानी, समझ सकते हैं हम, लेकिन उसके साथ-साथ जो हमने डिवीजन की मांग की थी, वो भी डिवीजन की मांग नहीं मानी, वोटिंग अलाउ नहीं किया, तो उनका जो आज रवैया था, वो रवैये के खिलाफ हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है।

श्री प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मैंने ज्यादा बात तो सभी से कर ली है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अंदर मैं लीड स्पीकर था, कांग्रेस का, मैंने ये कहा कि ये वारंट ऑफ डेथ था किसानों का, विशेष तौर से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं, जिन्होंने 55 साल इस देश के गरीबों का पेट पाला है, आज वही स्थिति कर दी कि आपके बुजुर्ग बच्चों की परवरिश करके उनको बड़ा करते हैं और जब बड़े हो जाते हैं, तो समझते हैं कि ये माता-पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, इनकी जरुरत नहीं, इनका बिस्तरा उठाओ अंदर से मेन बेडरुम से और गैराज रुम में डाल दो, ये पंजाब, हरियाणा के किसानों के साथ और वेस्टर्न यूपी के किसानों के साथ यही जो रवैया है, हिंदुस्तान की गवर्मेंट का, ये बहुत अफसोस का रवैया है।

हमारा कहना ये है कि एक तरफ तो हम जूझ रहे हैं कोरोना के साथ, 1 लाख से ज्यादा लोग हर रोज बीमार हो रहे हैं, दूसरी तरफ आई बॉल टू आई बॉल हमारी ऑल मोस्ट वॉर जैसी सिचुएशन है चीन के साथ। 50 हजार हमारे नौजवान वहाँ गलवान वैली में हैं, ये जरुरत क्या थी आज के दिन? ना इन्होंने इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्टेक होल्डर से बात की, स्टेक होल्डर हैं किसान। स्टेक होल्डर हैं 245 किसान जत्थे-बंदियां हिंदुस्तान की, जो आज हजारों की तादाद में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और तेलंगाना में निकले हैं, वो किसान जो हैं छत्तीसगढ़ में निकले हैं, उनके साथ बात करनी थी, आपने तो हरसिमरत कौर से बात कर ली, सुखबीर सिंह से बात कर ली और चौटाला से कर ली, चौटाला रह गए, बादल छोड़ गए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम ये सरकारें तमाम उम्र वो कहते हैं कि यही काम करती रही हैं, इन्होंने एक नुकसान बहुत बड़ा किया है कि जो गोदाम था हिंदुस्तान का, उसको भी नुकसान पहुंचाया है और फूड बाउल जो है, उसको भी नुकसान पहुंचाया है।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, 2006 में सबसे पहले बिहार में एपीएमसी एक्ट समाप्त किया गया था और उसके बाद कि जो स्थिति है, बिहार की, सबसे ज्यादा अगर कहीं डिस्ट्रेस सेल में अगर कहीं किसान अपना अनाज बेचते हैं तो वो बिहार है। हर साल हजारों गाड़ियाँ ट्रकों से लदकर, चावल- गेहूं बिहार से निकलकर और पंजाब और हरियाणा की मंडियों में आता है, ट्रेडर्स मुनाफाखोरी करते हैं, किसानों की पॉकेट में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जाता था, वो ट्रेडर्स की पॉकेट में जाता है। जो रूरल इकॉनमी को बिहार में बूस्ट मिलना चाहिए था, वो ट्रेडर्स को बूस्ट मिल रहा है और ये साफ है, बिहार का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसी तरह का फिर पूरे हिंदुस्तान में ये काम होने वाला है और ये जो कहते हैं, नहीं, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, हम सुनिश्चित करेंगे, तो एक तरफ तो आप जहाँ मंडी टैक्स लगाते हैं और उसको बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बीच में ला रहे हैं, तो साफ है कि किसान टैक्स देके तो बेचने जाएगा नहीं और वो सुनिश्चित करना, अगर ये करना भी था तो ये कानून बनाया है भारत सरकार ने कि बाहर अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अगर अनाज बेचा जाता है, तो उसको हम जेल में डालेंगे, तो इस तरह का कोई प्रावधान इन्होंने किया नहीं है, इससे साफ है कि ये किसान विरोधी बिल जबरदस्ती पास किया गया और आज जिस तरह से पास किया गया राज्यसभा में उससे साफ है कि सीधे डेमोक्रेसी की हत्या और सीधे डेमोक्रेसी को बुचर किया गया है।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज गणतंत्र के लिए काला दिवस है, पहले तो बिल के मेरिट्स के बारे में बात होगी और आज जो भी वहाँ पर मौजूद था, वो जानता है कि कोई ऐसा बिल पारित नहीं हुआ है और सरकार दावा कर रही है कि पारित हुआ है, ये गणतंत्र की मौत है, गणतंत्र का मर्डर है। आज जब पौने एक बजे कोई मंत्री अपना जवाब शुरु करता है तो ये संभव नहीं कि आप बिना डिवीजन के एक बजे तक डिबेट बंद कर दें, सवा एक तक पारित कर दें। एक नहीं कम से कम 10 लोग, आपको नाम कैमरा में दिख रहे हैं, डिवीजन मांगा, कई लोगों ने संशोधन मूव किया, प्रस्ताव किया, रेजोल्यूशन किया, एक को बोलने का मौका नहीं दिया, एक को सुनने का मौका नहीं दिया, तो ये बिल किस जादूई छड़ी से पास हुआ? हमने इसलिए तुरंत हाउस में बैठकर एक व्यापक अविश्वास मत का मोशन मूव किया है। हम नहीं समझते कि गणतंत्र में आपका काम है कि अपने बहुमत को क्रूरता से और टेरनी से आप कानून पास करेंगे। सुनना-समझना- आत्मसात करना उतना ही आवश्यक है और आपने उसका आज बिल्कुल हनन किया है।

मेरिट्स पर ज्यादा बात करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि मौका नहीं दिया गया, डिवीजन का और दूसरा इसमें मेरिट्स का एक बिंदु मैं आपको संक्षेप में बोलना चाहूँगा, ये आश्चर्य की बात है कि ये बिल में लगभग आप जानते हैं, हमारी लिस्ट-2 में मैंने कोई बिल नहीं देखा कि लिस्ट-2 के इतने अनुच्छेदों से वो संबंध रखता हो। लिस्ट-2 आप जानते हैं कि सिर्फ प्रदेश के स्तर पर कानून पास हो सकता है। लिस्ट के अनुच्छेद-14,26,28 और 67 ये सब कृषि के उद्योग से संबंध रखते हैं, तो ये एक असंवैधानिक बिल लाया गया है, संघीय ढांचे के विरुद्ध बिल लाया गया है, संघीय ढांचा हमारा मूल संविधान के तथ्यों का एक अभिन्न हिस्सा है और मेरा विश्वास है जो कुछ थोड़ा-बहुत मुझे संविधान का ज्ञान है, मेरा विश्वास है कि इस प्रकार का असंवैधानिक बिल जो पास होगा, उसे निश्चित रुप से चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको निरस्त किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय में। इसमें आज सरकार ने दिखा दिया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि सरकार को किस बात का विश्वास है कि वो बिल अपने बहुमत पर, अपने बलबूते पर पारित नहीं कर सकते और वो चूंकि नहीं कर सकते थे, इसलिए इस प्रकार के हथकंडे हुए हैं, आज आपने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अपने कैमरे में देखा है। इसका एक और पहलू है कि जो राज्यसभा के लोग और हम में से कई लोग लोकसभा चैम्बर में बैठते हैं, लोकसभा की एक आवाज राज्यसभा के चैम्बर में माननीय अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के पास नहीं जाती, वहाँ की एक आवाज हमारे पास नहीं आती, तो आपने बिना कोरम के, क्योंकि आधे लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कोरम कहाँ से होगा और बाकि लोग खड़े हुए विरोध कर रहे हैं, डिवीजन मांग रहे हैं, बिना आगे हाउस को सुने हुए, देखे हुए, अनदेखा करते हुए पारित कैसे कर दिया?

अंतिम बिंदु आपको ये बरगलाया जा रहा है, हमारे मैनिफेस्टो की बात की जा रही है, मैंने 11 क्लॉज के अगले क्लॉज को कोट किया है, क्लॉज नम्बर-12 और उसमें लिखा है, "We will establish farmers markets with adequate infra and support in large villages." उसमें लिखा है एग्रीकल्चरल कमीशन की बात, उसमें लिखी है, सब्सिडीज की बात, तो आप एक वाक्य को 'अश्वत्थामा हतो' की तरह, अर्धसत्य बता कर आगे बढ़ जाते हैं, तो ये देश को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC